18/11/2019 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता, उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट श्रीक हॉल्डर ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई। खसरा संख्या 208 के खातेदारान को पक्षकारान नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादीगण के वकील द्वारा Not Press करने के पश्चात न्यायालय द्वारा नोटिस नहीं दिया गया। अपीलांटगण की खातेदारी का रकबा कम किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करवाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
– बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	हुक्म की जारी
	अधिवक्ता अपीलांट ने धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित करने से अपीलांट की जानकारी में नहीं आया। अपीलांट को अरसा 05 दिन तहसीलदार गुड़ामालानी व हल्का पटवारी मौके पर आये तथा अपीलांटगण को कब्जा हटाने हेतु कहा तब अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ में नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 17/07/2012 को अपीलांट को प्राप्त हुई तब सविस्तार अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई अपीलाधीन निर्णय के विरुद्ध अपील पेश करने हुई देरी सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।	
	अधिवक्ता रेस्पा. ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया बावजूद सूचना/तामिल एवं वकील नियुक्त करने के बाद अनुपस्थित होना पक्षकार स्वयं की गलती है। अपीलांट/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15/06/2006 को Not Press किया लेकिन अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14/09/2011 को पारित किया जो तकरीबन 05 वर्ष बाद हुआ। तब तक अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित किन कारणों से नहीं हुए	

राजस्व अपील अधिकारी ★ बाड़मेर ★

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय में स्पष्ट नहीं किया है। पक्षकारों को प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाकर पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील को मियाद के बिंदु पर ही खारिज फरमाया जावे।	
	अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 15/06/2006 को अपीलांट वकील द्वारा Not Press करने के कारण की गई लेकिन तकरीबन 05 वर्ष तक अपीलांटगण, न्यायालय में किस कारण उपस्थित नहीं हुए इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी समन्स अपीलांट/प्रतिवादीगण को तामिल होने से अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना वकील नियुक्त किया। अपीलांट द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र	

(मोहर: राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर)

(हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म की जारी
राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	में यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि तकरीबन 05 वर्ष की सुदीर्घ अवधि तक अपीलांट को न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी नहीं हुई। अपीलांट की अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) 18/11/19 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

Scanned by CamScanner